रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD, NO. D. L.-33004/99

HRAGEN ASYA

EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	245]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 2010/आश्विन 2, 1932
No.	245]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 2010/ASVINA 2, 1932

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2010

सं. एल-1/10/2009-केंविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 36 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा 2(झ) तथा 2(यङ) तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए दरें, प्रभार तथा निबंधन तथा शर्ते) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

- 2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो :—
 - (क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - (ख) "आवेदक" से ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें समझा गया अनुज्ञप्तिधारी भी है, अभिप्रेत है, जिसने विद्युत पारेषित करने के लिए किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अधिनियम की धारा 35 के अधीन आयोग को आवेदन किया है;
 - (ग) "आयोग" से अधिनियम को धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

3751 GI/2010

[PART HI-SEC. 4]

- (घ) ''संविदा मार्ग'' से ऐसा पारेषण मार्ग अभिप्रेत है जिसे पक्षकारों के बीच करार के लिए एकल निरंतर विद्युत मार्ग के रूप में पदाभिहित किया जा सकता है;
- (ङ) ''ग्रिंड संहिता'' से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज), जिसमें उसके पश्चातवर्ती संशोधन या उसकी पुर्नअधिनियमित भी सम्मिलित है, के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिंड संहिता) विनियम, 2010 अभिप्रेत है;
- (च) ''मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं'' से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित विद्युत लाइनें अभिप्रेत हैं जहां ऐसी विद्युत लाइनों का, उनमें उपलब्ध अधिशेष क्षमता तक, विद्युत पारेषण करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए तथा उनकी ओर से उनके अनुरोध पर तथा टैरिफ या प्रभार के संवाय पर उपयोग किया जा सकता है।
- (छ) ''पक्षकार'' से आवेदक तथा मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का स्वामी या उनको प्रचालित करने वाला अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;
- (ज) '**'समय ब्लॉक''** से दिन में 00.00 घंटे से आरंभ होने वाला 15 मिनट का समय ब्लॉक अभिप्रेत है;
- (2) जब तक कि यथा पूर्वोक्त या संदर्भ या विषयवस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, नियमों या आयोग द्वारा इसके अधीन बनाए गए किसी अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम, नियम या विनियमों में उनका है।

3. विस्तार तथा लागू होना

- (1) ये विनियम केवल वहां लागू होंगे जहां संविदा मार्ग की पहचान की जा सकती है।
- (2) ये विनियम वहां लागू होंगे जहां अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित अंतर-राज्यिक पारेषण के आनुषंगिक मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का उपयोग दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच या अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के माध्यम से पारेषण ऊर्जा के पारेषण के लिए किसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है या उपयोग किए जाने का प्रस्ताव करते हों तथा जहां संविदा करने वाले पक्षकार अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के परंतक के अधीन यथापरिकल्पित ऐसी मध्यवर्ती पारेषण स्विधाओं का

उपयोग करने के लिए दरों तथा प्रभारों पर आपस में करार करने में असफल हो गए हों।

(3) इन विनियमों में अंतर्विष्ट निबंधन और शर्ते मॉडल निबंधन तथा शर्ते होंगी तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दर तथा प्रभार उच्चतम दर तथा प्रभार होंगे और पक्षकार इन विनियमों के अधीन अधिकथित व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर दरों तथा प्रभारों और निबंधनों तथा शर्तों के लिए बातचीत कर सकेंगे :

परंतु यह कि इन विनियमों की अधिसूचना के पूर्व, किसी मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए किए गए करार, चाहे वे संविदा करने वाले पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से किए गए हों या समुचित आयोग द्वारा पारित आदेशों के आधार पर किए गए हों, ऐसे करारों की समाप्ति तक इन विनियमों से असंगत किसी बात के होते हुए भी, निरंतर प्रभावी रहेंगे।

- (4) पारेषण उपलब्धता के संनियम, यथास्थिति, आयोग या राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा क्रमशः बनाए गए विनियमों में उपबंधित होंगे। यदि राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कोई भी उपलब्धता संनियम विहित न किए गए हो वहां ऊर्जा के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए आयोग द्वारा बनाए गए संनियम लागू होंगे।
- (5) ऊर्जा के अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए संविदा मार्ग संबंधी संकुलन का निरूपण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 तथा राज्य-पारेषण प्रणाली के लिए विषय संबंधी राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के अनुसार किया जाएगा। यदि राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संकुलन संबंधी विनियम नहीं बनाए हों तो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 लाग होंगे।

अध्याय 2 दरें तथा प्रभार

4. दर तथा प्रभार

मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए दरें तथा प्रभार इन विनियमों की अनुसूची-1 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट होंगी । संविदा मार्ग पर आधारित विनिर्दिष्ट दरें तथा प्रभार 50 किलोमीटर या उसके भाग के मानक दूरी के लिए है :

परंतु यह कि यदि प्रश्नगत संविदा की वार्षिक नियत लागत या वार्षिक राजस्व अपेक्षा का अवधारण, यथास्थिति, आयोग या किसी राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 3

[PART III-SEC. 4]

पहले ही किया गया है तब आवेदक द्वारा इस प्रकार अवधारित पारेषण प्रभारों की भागीदारी अनुसूची-2 में दी गई लाइन में मेगावाट में ऊर्जा प्रवाह की व्यस्ततम क्षमता के लिए पोस्ट फैक्टों आधार पर अवधारित संव्यवहार के मेगावाट में औसत ऊर्जा प्रवाह के अनुपात में होगी।

अध्याय 3 निबंधन और शर्ते

- 5. आवेदन का प्रस्तुत किया जानाः विद्युत लाइनों के स्वामित्व या उनको प्रचालित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को किए गए मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे :
 - (क) प्रदायकर्ता तथा विक्रेता का नाम तथा अवस्थान;
 - (ख) अनुसूचित किए जाने वाले संविदागत ऊर्जा (मेगावाट) की मात्रा तथा वह इंटरफेस जिस पर इसे अंतरित किया जाता है;
 - (ग) अंतःक्षेपण का स्थान तथा निकासी का स्थान; तथा
 - (घ) उस प्रत्येक तारीख के साथ आरंभिक या अंतिम समय-ब्लॉक जिसके दौरान पारेषण स्विधाएं अपेक्षित हैं।
- 6. मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के स्वामी या उनको प्रचालित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सहमति : नेटवर्क में अधिशेष पारेषण क्षमता की उपलब्धता की दशा में, मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के स्वामी या उनको प्रचालित करने वाले अनुज्ञप्तिधारी विनियम 5 में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर 3 कार्य दिवस के भीतर अपनी सहमति देगा।
- 7. अनुसूचीकरण : अनुसूचीकरण ग्रिंड संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- 8. संदाय प्रतिभूति : एक मास तक की अवधि तक मध्यवर्ती पारेषण सुविधा के अल्पकालिक उपयोग के लिए आवेदक उपयोग की सहमति प्रदत्त करने की तारीख से तीन कार्य दिवस के भीतर पक्षकरों द्वारा आपस में तय या यदि वे आपस में तय करने में असमर्थ हों, आयोग द्वारा यथा बिनिर्दिष्ट दरों तथा प्रभारों को मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का स्वामित्व रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी के पास जमा करेगा। एक मास से अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने हेतु पारेषण प्रभारों की बिलिंग मासिक आधार पर मास के अंत में पोस्ट फैक्टों तथा समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्ते) विनियम, 2009 के अनुसार किए गए संदाय के आधार पर की जाएगी।

5

9. संदाय में व्यतिक्रम : एक मास तक मध्यवर्ती पारेषण सुविधा का उपयोग करने के लिए पारेषण प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम करने वाला आवेदक व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए बकाया प्रभारों पर 0.04% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा :

परंतु यह कि लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में, मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं का स्वामित्व रखने वाला या उनको प्रचालित करने वाला अनुझप्तिधारी संव्यवहार की अनुसूची न करने का विनिश्चय कर सकेगा या पहले ही अनुसूचित संव्यवहार की अनुसूचीकरण को रद्द कर सकेगा या भविष्य में, जब तक व्यतिक्रम दूर नहीं किया जाता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा इन विनियमों के अधीन किए गए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अनुझप्तिधारी द्वारा ऐसा विनिश्चय आयोग की पूर्व सहमति से लिया जाना चाहिए।

- 10. ऊर्जा लेखांकन तथा विचलन का परिनिर्धारण : दो पक्षकरों के बीच ऊर्जा के किसी आदान-प्रदान के ऊर्जा लेखांकन के लिए अपेक्षित ऊर्जा मीटरिंग अवसंरचना ग्रिंड संहिता के अनुसार प्रदान की जाएगी तथा ऊर्जा में संविदागत प्रवाह की बाबत ऊर्जा का कोई भी वास्तविक समय विचलन निपटान, समय-समय पर, यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार या ऐसी किसी अन्य पद्धति के अनुसार किया जाएगा, जो पक्षकारों के बीच परस्पर में तय हो।
- 11. रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार : मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं में संव्यवहार के लिए रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार ग्रिड संहिता के अनुसार होगा।
- 12. पारेषण हानि : प्रयुक्त प्रत्येक 50 किलोमीटर तक की लाइन के लिए पारेषण हानियां निम्नानूसार होंगी :

क्रम संख्या	पारेषण प्रणाली का प्रकार	लाइन हानियां (%)
1	440 केवी	0.5%
2	220 केवी	1.0%
3	132 केवी	4.3%
4	66 केवी	8.0%

अध्याय 4 प्रकीर्ण

13. विवाद समाधान : इन विनियमों के अधीन उद्भूत सभी विवाद (जिसमें संविदा मार्ग पद्धति संबंधी विवाद भी है) व्यथित पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा न्यायनिर्णीत किए जाएंगे।

3751 90/10-2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति : यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो आयोग साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत हों तथा जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

क्रम संख्या	पारेषण प्रणाली का प्रकार	लाइन क्षमता	दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए दरें और प्रभार	दरें तथा प्रभार (अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए)
		मेगावाट	रुपए/मेगावाट/वर्ष	रुपए/मेगावाट घंटे
1	400 केवी (डी/सी)	900	97,584	11.14
2	400 केवी (एस/सी)	450	109,006	12.44
3	220 केवी (डी/सी)	500	118, 198	13.49
4	220 केवी (डी/सी)	250	145, 318	16.59
5	132 केवी (डी/सी)	180	182,525	20.84
6	132 केवी (एस/सी)	90	325,209	37.12
7	66 केवी (डी/सी)	54	540,339	61.68
8	66 केवी (एस/सी)	27	682,244	77.88

अनुसूची-1

डी/सी दोहरा सर्किट एस/सी एकल सर्किट

अनुसूची-2

क्रम संख्या	वोल्टता (केवी)	वह लाइन भार क्षमता जिस पर विचार किया गया है (मेगावाट)
1	400	450
2	220	250
3	132	90
4	66	27

आलोक कुमार, सचिव [विज्ञापन III/4/150/10/असा.]

6

[PART III-SEC. 4]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2010

No. L-1/10/2009-CERC.—In exercise of powers conferred under sub-section (2)(i) and (2)(ze) of Section 178 read with proviso to sub-section (1) of Section 36 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short title and Commencement.

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Rates, Charges and Terms and Conditions for use of Intervening Transmission Facilities) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;
 - (b) "Applicant" means a licensee including a deemed licensee who has made an application to the Commission under Section 35 of the Act for

using the intervening transmission facilities owned or operated by another licensee for transmitting electricity;

- (c) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
- (d) "Contract Path" means a transmission path that can be designated to form a single continuous electrical path between the parties to an agreement.
- (e) "Grid Code" means the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulation, 2010 specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act including any subsequent amendment thereto or re-enactment thereof.
- (f) "Intervening transmission facilities" means the electric lines owned or operated by a transmission licensee or distribution licensee where such electric lines can be utilised for transmitting electricity, to the extent of surplus capacity available therein, for and on behalf of a transmission licensee or trading licensee or a distribution licensee at their request and on payment of a tariff or charge;
- (g) "Parties" means the applicant and the licensee owning or operating the intervening transmission facilities;
- (h) "Time block" means time block of 15 minutes starting from 00.00 hrs. in a day.

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or if the subject matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, rules or any other regulations made

thereunder by the Commission shall have the same meaning assigned to them in the Act, rules or regulations respectively.

3. Scope and Applicability:

(1) These regulations shall apply only where a contract path can be identified.

(2) These regulations shall apply where the intervening transmission facilities incidental to inter-State transmission owned or operated by a licensee, are used or proposed to be used by any trading licensee or distribution licensee for transmission of power through long-term access, medium-term open access or short-term open access, and where the contracting parties have failed to mutually agree on the rates and charges for the usage of such intervening transmission facilities as envisaged under the proviso to sub-section (1) of Section 36 of the Act.

(3) The terms and conditions contained in these Regulations shall be the model terms and conditions and the rates and charges specified in these regulations shall be the ceiling rates and charges and the parties may negotiate the rates and charges and the terms and conditions within the broad framework laid down under these Regulations:

Provided that the agreements entered into prior to the notification of these Regulations, either through mutual consent of the contracting parties or on the orders passed by the Appropriate Commission, for use of any intervening transmission facilities, shall continue to have effect notwithstanding inconsistency, if any, with these Regulations till the expiry of such agreements.

375150/0-3

[PART III-SEC. 4]

(4) The norms of Transmission Availability would be as provided for in their respective Regulations by the Commission, or State Electricity Regulatory Commission, as the case may be. In case no availability norms have been prescribed by the State Electricity Regulatory Commission, the norms of Commission for inter-State transmission of power would apply.

(5) The treatment of congestion on the contract path for inter-State transmission of power would be in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009 and for state transmission system, in accordance with the State Electricity Regulatory Commission Regulations on the matter. In case the State Electricity Regulatory Commission has not framed any congestion Regulations, then the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009 would apply.

CHAPTER 2 RATES & CHARGES

4. Rates and Charges:

The rates and charges for usage of intervening transmission facilities shall be as specified under the **Schedule-I** to these Regulations. The rates and charges specified based on contract path are for a standard distance of 50 Km or a part thereof.

Provided that in case the annual revenue requirement of the contract path in question has already been determined by the Commission or any

भारत का राजपत्र : असाधारण

State Electricity Regulatory Commission then the sharing of the transmission charges so determined, by the applicant, will be in the ratio of the average power flow in MW of the transaction determined on **post-facto** basis, to the peak capacity of the power flow in MW in the line as given in **Schedule-II**.

CHAPTER 3 TERMS & CONDITIONS

5. Submission of Application: An application by a licensee for use of intervening transmission facilities made to the licensee owning or operating the electric lines shall contain such details as:

- (a) Name and location of the supplier and the buyer;
- (b) Quantum of contracted power (MW) to be scheduled and the interface, at which it is referred to;
- (c) Point of injection and the point of drawl; and
- (d) Start and end time-block on each date during which the transmission facilities are required.

6. Consent by the Licensee owning or operating the intervening transmission facilities: The licensee owning or operating the intervening transmission facilities, in the event of availability of surplus transmission capacity in the network, shall convey its consent within three (3) working days of the receipt of the application referred to in Regulation 5.

7. Scheduling: Scheduling shall be carried out in accordance with the procedure specified in the Grid Code.

8. Payment Security: The Applicant for short term usage of intervening transmission facility of up to one month, shall deposit with the licensee owning the intervening transmission facilities, the rates and charges as mutually agreed upon by the parties or as specified by the Commission in case they are unable to mutually agree, within three (3) working days from the date of grant of consent of use. For a period of usage greater than one month, transmission charges would be billed, post facto, on monthly basis, at the end of the month, and payment made in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009, as amended from time to time.

9. Default in payment: The Applicant committing default in payment of transmission charges for usage of intervening transmission facility of up to one month, shall be liable to pay a simple interest @ 0.04% on the outstanding charges for each day of default:

Provided that in case of persistent default, the licensee owning or operating the intervening transmission facilities may decide not to schedule the transaction or may cancel the scheduling of already scheduled transaction or may not entertain any application made under these Regulations of such person in future until such time the default is cured. Such a decision by the licensee should be with the prior approval of the Commission **10.** Energy accounting and Settlement of deviation: For energy accounting of all exchanges of power between the two parties, requisite energy metering infrastructure shall be provided in accordance with Grid Code, and any real time deviation of energy with respect to the contracted flow of energy shall be settled as per the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled interchange charges and related matters) Regulations, 2009 as amended from time to time or by any other method as may be mutually agreed upon between the parties.

11. Reactive Energy charge: Reactive energy charge shall be as per the Grid Code for transaction in the intervening transmission facilities.

12. Transmission Loss: The transmission losses for line length of every 50 Km used shall be as follows:

S.No.	Type of Transmission system	Line Losses %
1.	400 kV	0.5
2.	220 kV	1.0
3.	132 kV	4.3
4.	66 kV	8.0

CHAPTER 4 MISCELLANEOUS

13. Dispute Resolution: All disputes (including disputes on the contract path method) arising under these Regulations shall be adjudicated by the Commission based on an application made by the person aggrieved.

[PART III---SEC. 4]

14. Removal of Difficulties: If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Type of Transmission System	Line Capacity	Rates and Charges for Long -term Access and Medium term Open Access	Rates and Charges (for Short-term Open Access)	
		MW	Rs/MW/year	Rs./MWh	
1	400 kV (D/C)	900	97,584	11.14	
2	400 kV (S/C)	450	109,006	12.44	
3	220 kV (D/C)	500	118,198	13.49	
4	220 kV (D/C)	250	145,318	16.59	
5	132 kV (D/C)	180	182,525	20.84	
6	132 kV (S/C)	90	325,209	37.12	
7	66 kV (D/C)	54	540,339	61.68	
8	66 kV (S/C)	27	682;244	77.88	
D/C	Double Circuit				

Double Circuit

S/C Single Circuit

SCHEDULE-II

S.No.	VOLTAGE (kV)	Line Ioading capacity considered (MW)
1.	400	450
2	220	250
3.	132	90
4.	66	27

ALOK KUMAR, Secy. [ADVT-III/4/150/10/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.